B- 34 1
L - 51
Polity

अधिकरण का अभिप्राय :-

- अधिकरण अर्द्ध-न्यायिक संस्था है जिसमें न्यायाधीशों के अलावा किसी विषय विशेष के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण में न्यायिक सदस्यों के अलावा पर्यावरणीय विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है।
- अधिकरण प्रत्येक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट और पृथक होते हैं जैसे सिविल सेवकों के सेवा, शर्तें संबंधी विवाद को हल करने के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) का गठन किया गया।
- अधिकरणों में न्यायालय की भांति जटिल प्रक्रियाओं का प्रयोग नहीं होता अपितु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है।
- अधिकरण त्वरित और समयबद्ध रूप में विवादों का निस्तारण करता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण में 6 महीने के भीतर किसी भी विवाद को हल किया जाता है और स्वभाविक रूप में पैसे की बचत भी होती है।

अधिकरणों की उपयोगिता :-

- परम्परागत न्यायालय पर कार्य का बोझ कम करना।
- विवादों का त्वरित निस्तारण

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

(iii) त्वरित न्याय को सुशासन का आयाम कहा जाता है।

(iv) न्याय में विशेषज्ञता प्रदान करना।

अधिकरण और न्यायिक स्वतंत्रता :-

- अधिकरण परम्परागत न्यायालय की तुलना में कम स्थापत हैं क्योंकि अधिकरणों में सदस्यों की नियुक्ति कोलेजियम के द्वारा नही की जा सकती अपितु कार्यपालिका नियुक्ति करती है।
- अधिकरणों के सदस्यों के वेतन भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित नही होते।
- अवमानना के आरोप में इन्हें दण्ड देने की शक्ति भी नही होती।
- अधिकरणों को न्यायालय की भांति स्वतंत्रता नही है लेकिन न्यायालय के स्थान पर अधिकांश मामले अधिकरणों के समक्ष लाये जा रहे हैं। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि अधिकरणों की बढ़ती संख्या न्यायिक स्वायत्ता के प्रतिकूल है।

अधिकरणों की स्वतंत्रता का बचाव :-

- अधिकरणों से न्यायालय की स्वतंत्रता प्रभावित नही होती इसके कारण निम्नलिखित हैं-

(i) प्रत्येक अधिकरण का अध्यक्ष न्यायिक सदस्य ही होगा। विशेषज्ञ अधिकरण के अध्यक्ष नही अपितु सदस्य होते हैं।

(ii) प्रत्येक अधिकरण के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है इसके बाद इसे उच्चतम न्यायालय लाया जा सकता है इसलिए अधिकरणों पर न्यायालय का नियंत्रण बना रहता है।

सुधार की सिफारिशे :-

- यह संयोग का विषय है कि नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल के द्वारा अनेक कार्पोरेट विवादों को हल करने में अत्यधिक विलम्ब किया जा रहा है अधिकरणों की समूची प्रासंगिकता पर ही सवाल पैदा कर देता है।
- अधिकरों में रिक्तियाँ भरी नही जा रही हैं अधिकरणों के कार्य पंगू बन गए हैं।
- सभी अधिकरणों को अलग - अलग मंत्रालयों के अधीन रखने के बजाय किसी एक ही मंत्रालय के नीचे रखने की आवश्यकता है जिससे इनमें होने वाले सुधारों को प्रभावी बनाया जा सके।
- अधिकरणों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को निश्चित समय सीमा के भीतर भरने की की आवश्यकता है।

निष्कर्ष :-

अधिकरणों की व्यवस्था न्याय को सरल और आसान बनाने के लिए उपयोगी है क्योंकि शक्ति पृथक्करण के साथ समन्वय और सहयोग की भी आवश्यकता होती है।

मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम - 1996

- उदारीकरण और निजीकरण के दौर में निवेश को आकर्षित करने के लिए न्याय प्रणाली किसी भी कीमत पर त्वरित और प्रभावी होनी चाहिए और परम्परागत न्यायालयों के जटिल प्रक्रिया को दूर करने के लिए और विवादो को कोर्ट के बाहर हल करने के लिए (Out of Court Settlement) 1996 में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम का निर्माण किया गया और 2023 में भी सुलह अधिनियम का निर्माण किया गया इस अधिनियम के मूल प्रावधान निम्नलिखित हैं।

(i) विवाद, न्यायालय में जाने से पहले ही हल करने का प्रयास करना।

(ii) सुलह के द्वारा 120 दिनों के भीतर विवाद को हल कर दिया जायेगा और यह गोपनीय रखा जायेगा।

- अधिनियम के माध्यम से सामुदायिक सुलह के प्रावधान को भी आगे बढ़ाया गया है यदि कोई स्थानीय विवाद है तो उसे उस स्थानीय समुदाय के तीन सदस्यों को सौंपा जायेगा।
- भारत को सुलह का केन्द्र बनाने के लिए भारतीय सुलह परिषद का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा सुलह का प्रावधान भारत में संस्थागत बनाया जा सके।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform

- मध्यस्थता में पक्षकारों को फीस देना होता है तथा इसके निर्णय से अपील भी संभव है

- इन प्रावधानों के बावजूद भारत में मध्यस्थता एवं सुलह के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव है

- सुलह कराने वाले विशेषज्ञों की भी कमी है

- भारत में अभी भी वकीलों के हित 1961 के Advocate Act से संचालित होते हैं जिनमें सुधार के द्वारा ही सुलह को त्वरित बनाया जा सकता है।

- अधिनियम के अनुसार यदि कोई अंतरराष्ट्रीय निवेशक भारत में निवेश कर रहा है तो उसका सुलह केवल भारत में ही संभव है। जबकि भारत सिंगापुर कन्वेंशन का भाग है जिसके अनुसार अन्तरराष्ट्रीय विवादों को घरेलू नहीं बनाया जा सकता।

न्यायधीशों की पदमुक्ति :-

- संविधान में न्यायाधीशों के हटाने के आधार का उल्लेख है लेकिन इसकी विस्तृत प्रक्रिया का निर्माण संसदीय एक्ट 1968 के द्वारा किया गया।

- उच्चतम न्यायालय ने भट्टाचार्य की बाद में कहा कि यदि किसी न्यायाधीश पर कदाचार का मामला उत्पन्न होता है तो उसकी जांच स्वयं

स्वयं उच्चतम न्यायालय करेगा। और उच्चतम न्यायालय के द्वारा ऐसे न्यायाधीशों को पद से हटने के लिए कहा जायेगा। लेकिन सौमित्र सेन के मामले में यह प्रक्रिया असफल हो गयी क्योंकि यह एक नैतिक माध्यम है जिसे मानना न्यायाधीशों के लिए बाध्यकारी नहीं है।

- न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए संसदीय कार्यवाही का विकल्प भी निर्मित होना चाहिए क्योंकि संसद के कार्य बढ़ते जा रहे हैं इसलिए संसद के पास पहले से ही समय की कमी है न्यायाधीशों को जवाबदेह बनाने के लिए मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा न्यायिक जवाबदेही विधेयक प्रस्तुत किया गया था लेकिन यह आज तक पारित नहीं हो पाया।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

पंचायती राज

- बलवंत राय मेहता समिति
  - जनपद
  - मण्डल पंचायत
  - ग्राम पंचायत
- अशोक मेहता समिति
  - जनपद
  - मण्डल पंचायत
- संवैधानिक दर्जा
  - लक्ष्मीमल सिंघवी समिति
- 64th संशोधन
  - राजीव गांधी सरकार में

↓

73 वें संविधान संशोधन (1992) के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला।
9वीं अनुसूची में शामिल

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR